

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी)

वन भवन, तुलसी नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

क्रमांक/माचि०/07/6996

भोपाल/दिनांक/11/दिसंबर/2007

प्रति,

1. समस्त क्षेत्र संचालक (टाईगर रिजर्व)
2. समस्त संचालक (राष्ट्रीय उद्यान)
3. वन संरक्षक, उज्जैन/ग्वालियर/भोपाल/सागर।

विषय:- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमति।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि/5459 दिनांक 18.10.2007

-----

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें यह लेख किया गया था "कि संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित कार्यों को केवल शासकीय विभाग ही करा सकेंगे"। सन्दर्भित पत्र से उक्त टीप विलोपित की जाती है तथा स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश में सूचीबद्ध गतिविधियाँ संरक्षित क्षेत्र प्रभारी अधिकारी की अनुमति से कोई अन्य विभाग या संस्था द्वारा सम्पादित की जा सकेगी।

कृपया सन्दर्भित पत्र में उपरोक्तानुसार संशोधन से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)

म०प्र० भोपाल।

पृ० क्रमांक/माचि./07/6997

भोपाल, दिनांक 11 दिसंबर 2007

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम), सतपुड़ा भवन, भोपाल को सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)

म०प्र० भोपाल।